सेवा में,

दिनांक : 11/04/2018

1. श्री मान मुख्य सचिव महोदय
   म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल
2. श्री मान प्रमुख सचिव महोदय (कार्मिक)
   म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल

विषय : हजारो किसानो, कई मंडी समितियों को लाखो/करोड़ो रूपये का नुकसान कराने वालें अधिकारी एवं भारी भ्रस्टाचार, गंभीर अनियमितता, पद का दुरूपयोग, पत्रों को लंबित रखने, कूट-रचित गलत जानकारी भेजने, फर्जी खानापुर्तियाँ कराने, शासन एवं प्रशासन के पत्रों नियमो के विपरीत मन मर्ज़ी से पद का दुरूपयोग करने वालें भारी भ्रस्टाचारी अधिकारी श्री विनय निगम (राज्य प्रशासनिक सेवा) , प्रतिनुक्ति अपर संचालक म. प्र. मंडी बोर्ड भोपाल को तत्काल निलंबित करते हुए, उनके सम्पूर्ण कार्यकाल की विस्तार से जाँच एवं करोडो रूपये की वसूली कराने बाबत |

मान्यवर महोदय,

1. विनम्र निवेदन है कि मंडी बोर्ड भोपाल में जुलाई 2015 से वर्तमान तक प्रतिनियुक्ति पर आए अपर संचालक श्री विनय निगम ने पद का दुरुपयोग, अवैध व्यापार, कूट रचना, फर्जी खानापूर्तियां, भारी भ्रष्टाचार, गंभीर अनियमितताएं, स्थानांतरण में रिश्वतखोरी, अटैचमेंट में रिश्वतखोरी, अवैध व्यापार में अवैध वसूली के लिए कुछ मंडी सचिव, कुछ मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को दलाल/एजेंट बनाकर किसानों एवं मंडी समितियों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं | इनको तत्काल निलंबित करते हुए, इनके सम्पूर्ण कार्यकाल की विस्तार से जाँच एवं करोडो रूपये की वसूली कराने का कष्ट करें |

2. मंडी समिति नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में 50,00,000/- (पचास लाख) रूपये से ज्यादा की गंभीर अनियमितताएं एवं भारी भ्रस्टाचार के दोषी एवं श्री मान S.D.M. (I.A.S.) नरसिंहगढ़ एवं श्री मान जिला कलेक्टर राजगढ़ (I.A.S.) की जाँच में दोषी एवं म.प्र. शासन स्थानीय संपरीक्षा विभाग भोपाल की ऑडिट रिपोर्ट में एक करोड़ से अधिक से रूपये के दोषी एवं मंडी बोर्ड भोपाल/ उज्जैन के जाँच दल द्वारा दोषी साबित हो चुके दो कर्मचारियों श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्द्र नामदेव से भारी रिश्वत लेकर अपर संचालक मंडी बोर्ड भोपाल श्री विनय निगम दोषियों को जनवरी 2016 से संरक्षण दे रहें है, सहयोग करते आ रहे है | इस प्रकार करोडो रूपये के भ्रस्टाचार को बढाने का काम कर रहें है | श्री विनय निगम को तत्काल निलंबित करने का कष्ट करें |

3. यह है कि उपरोक्त विषय अनुसार एवं बिंदु क्रमांक 1 व 2 अनुसार प्रार्थी ने वर्ष 2015-16 में संलग्न पेज क्रमांक 1 से 7 तक अनुसार कई बार भ्रस्टाचार/अनियमितता सम्बन्धी आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किये गए है लेकिन अपर संचालक श्री विनय निगम ने भोपाल संभागीय अधिकारी बनकर एवं बाद में म.प्र. मंडी बोर्ड मुख्यालय में पदस्त होकर मेरे सभी पत्रों को लंबित रखा जिससे करोडो रूपये का भ्रस्टाचार बढता गया, जिससे हजारो किसानो, कई मंडी समितियों को प्रतिवर्ष करोडो रूपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत संलग्न पेज क्रमांक 1 से 7 तक अनुसार कई बार तारीखवार समस्त पत्रों की बिन्दुवार जाँच की जावें तो करोडो रूपये की अनियमितता/भ्रस्टाचार साबित हो सकता है |

4. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 08 से 65 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे मुख्य मंत्री किसान भोजन योजना/ स्टोर कीपर शाखा / निर्माण शाखा एवं अन्य शाखाओ में गंभीर अनियमितताएं/ भारी भ्रस्टाचार हुआ है | फर्जी खानापुर्तियाँ, फर्जी टेंडर , फर्जी बिलों का भुगतान फर्जी आर्डर पत्रक, फर्जी हस्ताक्षर ओवर-राइटिंग कूट-रचित दस्तावेज तैयार करते हुए प्रतिवर्ष लाखो रूपये का जो भ्रस्टाचार हुआ था, उसकी जाँच के नाम पर श्री विनय निगम अपर संचालक मंडी बोर्ड भोपाल ने नवम्बर 2015 से अप्रैल 2018 तक पद का दुरूपयोग करते हुए एवं अधिनस्त जाँच अधिकारीयों पर दवाब डालते हुए करोडो रूपये के भ्रस्टाचार को लंबित रखना फर्जी खाना पूर्तियां करना , रफा-दफा करने का श्री विनय निगम द्वारा प्रयास किया गया है, एवं भ्रस्तचारीयों को संरक्षण/सहयोग देकर भ्रस्टाचार को बढावा दिया गया है |

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी की घोषणा दिनांक 08/11/2016 के बाद श्री विनय निगम द्वारा करीब 20 लाख रूपये बदलने के लिए मंदी समिति नरसिंहगढ़ में आरोपी कर्मचारी देवेन्द्र नामदेव एवं अखिलेश शर्मा के माध्यम से फर्जी किसान, फर्जी अनुबंध पर्ची एवं एनी फर्जी तरीके से 20 लाख रूपये से ज्यादा के पुराने नोटों को फर्जी किसानो के नाम से नए नोटों हेतु सेकड़ो किवंटल लहसुन एवं अन्य जिन्सों के नाम से सेकड़ो अनुबंध पर्चियां निकली गई है | हेरा-फेरी की गई है |

5. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 66 से 69 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे प्रार्थी द्वारा लाखो रूपये मंडी टेक्स वसूली की है, प्रार्थी को मंडी समिति नरसिंहगढ़, खुजनेर एवं राजगढ़ से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए है | प्रार्थी ने वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करने की मांग की एवं भ्रस्टाचार / फर्जी खानापूर्ति में सहयोग करने से मना किया तो अपर संचालक श्री विनय निगम झूठा आरोप, झूठा गवाह बनाकर गलत तरीके से निलंबन आदेश जारी कर दिया |

6. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 70 से 78 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे श्री विनय निगम के हस्ताक्षर से गलत निलंबन आदेश जारी किया, तीन गलत आरोप बिंदु बनाये कि (भ्रस्टाचारी कर्मचारी की शिकायत क्यों की, वेतन वृद्धि की मांग क्यों की, किसान क्यों लिखा है) जबकि प्रार्थी ने निलंबन एवं आरोप पत्र का दिनांक 04/04/2016 को पक्के सबूत एवं दस्तावेज सहित जवाब दे चूका हूँ | लेकिन श्री विनय निगम ने भ्रस्टाचारीयों से बड़ी राशि रिश्वत की ले रखी थी, तो प्रार्थी के पत्रों को लंबित कर दिया गया | प्रार्थी के साथ अन्याय, अपमान, शोषण, प्रताड़ना एवं अन्य कई प्रकार से नुकसान पहुचायाँ गया है | जोकि वर्तमान तक प्रार्थी को नुकसान दिया जा रहा है |

7. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 79 से 81 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे श्री विनय निगम ने प्रार्थी के निलंबन के लिए जो झूठे गवाह बनाये थे, उन गवाहों ने श्री विनय निगम के खिलाफ ही गवाही दी है, एवं श्री घीसालाल राठौर की ईमानदारी के पक्ष में गवाही दी है | लाखो रूपये की रिश्वतखोरी के लिए भ्रस्टाचार में सहयोग नहीं करने वाले कर्मचारीयों को नोटिस देना, दवाब डालना, निलंबन करना, जांचे बैठाना, अन्य प्रकार से अन्याय, अपमान, शोषण करते है

8. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 82 से 87 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे माननीय उच्च न्यालय इंदौर द्वारा झूठे निलंबन, झूठे गवाह, कूट-रचित विभागीय जाँच को तत्काल रोक लगा दी गई है | जोकि मंडी बोर्ड द्वारा जवाब नहीं देने के कारण लंबित है | श्री विनय निगम व्यक्तिगत रूप में पद का दुरूपयोग करने के दोषी पक्षकार है |

श्री विनय निगम के विरुद्ध हाईकोर्ट इंदौर से दर्ज प्रकरण क्रमांक WP 6944/2016 दिनांक 06/10/2016 एवं प्रकरण क्रमांक WP 4143/2017 दिनांक 05/07/2017 एवं प्रकरण क्रमांक WP 3953/2017 दिनांक 28/06/2017 दर्ज है | श्री विनय निगम के खिलाफ कार्मिक शाखा द्वारा शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें |

9. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 88 से 95 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल द्वारा मंडी बोर्ड भोपाल को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया कि घीसालाल राठौर के आवेदन पत्रों का निराकरण करते हुए आवेदक श्री राठौर को अवगत कराया जावें, लेकिन मंडी बोर्ड भोपाल के अपर संचालक श्री विनय निगम के द्वारा गंभीर अनियमितता एवं भारी भ्रस्टाचार में भ्रस्टाचारियों से रिश्वतखोरी कतरे हुए खुद भी संलिप्त हो गयें और म.प्र. शासन के संलग्न पेज 88 से 95 तक के निर्देशों का उन्लाघन किया और राठौर को कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जिससे मंडी समितियों का करोडो रूपये का नुकसान होता आ रहा है |

10. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 96 से 105 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे श्री विनय निगम अपर संचालक मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा मुख्यालय मंडी बोर्ड के पत्रों का घोर उन्लंघन किया गया है | पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी का गलत निलंबन किया गया है, एवं करोडो रूपये के भ्रस्टाचारियों को बचाने के लिए, संरक्षण एवं सहयोग देने के लिए प्रार्थी के पत्रों को श्री विनय निगम द्वारा जान-बुझ कर लंबित रखे गये है, जो निम्नानुसार है :--

I.) जैसे मंडीबोर्ड सतर्कता का पत्र क्र. / सतर्कता / 25-5 / नरसिंहगढ़ / 152 भोपाल दिनांक : 23/01/2016

इस पत्र में स्पस्ट निर्देश है कि दिनांक 09/11/2015 से लाखो रूपये भ्रस्टाचार की जाँच 15 दिवस में चाहा गया था परन्तु आज दिनांक 23/01/2016 तक अपेक्षित है / लंबित है |

II.) जैसे मंडीबोर्ड सतर्कता का पत्र क्र. / सतर्कता / 25-5 / नरसिंहगढ़ / 846 भोपाल दिनांक : 21/04/2016

इस पत्र में स्पस्ट निर्देश है कि दिनांक 09/01/2016 एवं 30/03/2016 से लाखो रूपये भ्रस्टाचार की जाँच समय-सीमा में चाह गया था परन्तु आज दिनांक 21/04/2016 तक अपेक्षित है / लंबित है | (यह तृतीय स्मरण पत्र है) म.प्र. शासन जनशिकायत विभाग P.G. CODE न. : 10027232

III.) जैसे मंडीबोर्ड सतर्कता का पत्र क्र. / सतर्कता / 25-5 / नरसिंहगढ़ / 1130 भोपाल दिनांक : 24/05/2016

इस पत्र में स्पस्ट निर्देश है कि दिनांक 09/01/2016 एवं 30/03/2016 से लाखो रूपये भ्रस्टाचार की जाँच समय-सीमा में चाह गया था परन्तु आज दिनांक 24/05/2016 तक अपेक्षित है / लंबित है | म.प्र. शासन जनशिकायत विभाग **P.G. CODE न. : 10035362**

IV.) जैसे मंडीबोर्ड सतर्कता का पत्र क्र. / सतर्कता / 25-5 / नरसिंहगढ़ / 5263 भोपाल दिनांक 09/11/2016

अतिविशेष : इस पत्र में मंडी बोर्ड सतर्कता ने 15 दिवस में अनिवार्य रूप से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 1 से 8 तक कॉलमवार प्रारूप बनाकर अपर संचालक श्री विनय निगम को जाँच अधिकारी बनाया गया था इस पत्र का घोर उन्लन्घन करते हुए एवं रिश्वतखोरी के बल पर भ्रस्टाचारियों को बचाने के लिए श्री विनय निगम द्वारा स्वयं के

पत्र क्रमांक / उप / सं / भो / शि / प क्र / 45 /15-16 / 5793 भोपाल दिनांक : 09/12/2015

द्वारा अधिनस्थ सहायक लेखा अधिकारी पर दवाब डालकर मात्र निर्धारित 1 से 4 तक कॉलमवार प्रारूप बनाकर अपर संचालक श्री विनय निगम ने जाँच करवाई और शिकायत को असत्य बताया एवं नस्तीबद्ध कराई जबकि निर्धारित प्रारूप 5 से 8 तक से दोषियों पर कार्यवाही एवं लाखो रूपये की वसूली हो सकती थी जोकि अपर संचालक श्री विनय निगम ने जान-बुझ कर अधूरी जाँच करवाई एवं दोषियों को सहयोग दिया तथा लाखो-करोडो रूपये का मंडी बोर्ड का नुकसान हुआ है, जिसकी वसूली श्री विनय निगम से करने का कष्ट करें |

11. उपरोक्त बिंदु क्रमांक 10 में लिखित विवरण अनुसार यदि श्री विनय निगम का निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है |

12. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 106 अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे जिला कलेक्टर (I.A.S.) जिला राजगढ़ का पत्र क्रमांक 7202 / शिकायत / 16 राजगढ़ दिनांक 28/07/2016 से सचिव कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ को स्पस्ट आदेश लिखा की 50,00,000 रूपये के भ्रस्टाचारी श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्द्र नामदेव के विरुद्ध F.I.R. दर्ज करते हुए कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराये जोकि वर्तमान तक श्री विनय निगम के दवाब के कारण लंबित है | इस कारण करोडो रूपये का भ्रस्टाचार, अनियमितता को बढावा मिल रहा है |

13. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 107 अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे जिला कलेक्टर (I.A.S.) जिला राजगढ़ का पत्र क्रमांक 7201 / शिकायत / 16 राजगढ़ दिनांक 28/07/2016 से प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल को स्पस्ट आदेश लिखा की 50,00,000 रूपये के भ्रस्टाचारी श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्द्र नामदेव के विरुद्ध F.I.R. दर्ज करते हुए कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराये जोकि वर्तमान तक श्री विनय निगम के दवाब के कारण लंबित है | इस कारण करोडो रूपये का भ्रस्टाचार, अनियमितता को बढावा मिल रहा है |

14. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 108 अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे जिला कलेक्टर (I.A.S.) जिला राजगढ़ का **पत्र क्रमांक 3765 / शिकायत / 16** राजगढ़ दिनांक 04/05/2016 से प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल को स्पस्ट आदेश लिखा की 50,00,000 रूपये के भ्रस्टाचारी श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्द्र नामदेव के विरुद्ध जनशिकायत निवारण विभाग भोपाल के **PFR न. : 10035362 दिनांक : 02/03/2016** के पत्र पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराये जोकि वर्तमान तक श्री विनय निगम के दवाब के कारण लंबित है | इस कारण करोडो रूपये का भ्रस्टाचार, अनियमितता को बढावा मिल रहा है |

15. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 109 अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे S.D.M. (I.A.S.) नरसिंहगढ़ के **पत्र क्रमांक / 3541 / स्टेनो / 16 नरसिंहगढ़ दिनांक 30/06/2016 में उल्लेखित बिंदु क्रमांक 01 से 05 तक** गंभीर अनियमितताएं साबित हो चुकी है जोकि वर्तमान तक श्री विनय निगम के दवाब के कारण लंबित है | श्री विनय निगम के कारण मंडी समितियों में करोडो रूपये का नुकसान हो रहा है |

16. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 111 अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे श्री मान जिला कलेक्टर (I.A.S.) राजगढ़ के **पत्र क्रमांक 2176 / शिकायत / 16 दिनांक 10/02/2016** से भ्रस्टाचार / अनियमितता की जाँच के लिए उपयंत्री जनपद शिक्षा केंद्र नरसिंहगढ़ एवं उपयंत्री मनरेगा जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ द्वारा जाँच कराइ गई, जिसमे उल्लेखित बिंदु क्रमांक 01 से 07 तक गंभीर अनियमितताएं साबित हो चुकी है जोकि वर्तमान तक श्री विनय निगम के दवाब के कारण लंबित है | श्री विनय निगम के कारण मंडी समितियों में करोडो रूपये का नुकसान हो रहा है |

17. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 113 अवलोकन करने का कष्ट करें |

उपरोक्त बिंदु क्रमांक 12 से 16 तक में आरोपों पर दोषी साबित हो चुके थे, तब श्री विनय निगम ने अखिलेश शर्मा से एक कथन पत्र में बिंदु क्रमांक 15 में लिखाया कि F.I.R. रोकी जावें क्योकि ऑडिट चल रही है, यदि ऑडिट में दोष साबित हो गया तो F.I.R. दर्ज की जावें | इसके बाद शासन की ऑडिट रिपोर्ट में भ्रस्टाचार साबित हो चूका है, इसलिए जिला कलेक्टर राजगढ़ का पत्र क्रमांक 7202 राजगढ़ दिनांक 28/07/2016 लागू कराने का कष्ट करें |

18. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 116 से 157 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

उपरोक्त बिंदु क्रमांक 17 अनुसार ऑडिट रिपोर्ट संलग्न पेज क्रमांक 116 से 157 तक गंभीर अनियमितता / भारी भ्रस्टाचार / बिना बिलों से भुगतान / फर्जी खानापूर्ति / अन्य बिन्दुओ सहित **कुल ऑडिट आपत्ति की राशि 1,53,00,000 से अधिक** की अनियमितता / दोषी साबित हो चुके है | जोकि वर्तमान तक श्री विनय निगम के दवाब के कारण लंबित है | श्री विनय निगम के कारण मंडी समितियों में करोडो रूपये का नुकसान हो रहा है | इसके बाद शासन की ऑडिट रिपोर्ट में भ्रस्टाचार साबित हो चूका है, इसलिए जिला कलेक्टर राजगढ़ का पत्र क्रमांक 7202 राजगढ़ दिनांक 28/07/2016 लागू कराने का कष्ट करें |

19. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 158 से 164 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे महामहिम राष्ट्रपति महोदय / माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त (**CPGRAM** पोर्टल पर) **Ragistraction No. : PMOPG/D/2016/0287281** दिनांक 28/09/2016 के जवाब में अपर संचालक श्री विनय निगम ने आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड भोपाल के लिए उनके **पत्र क्र. / उपसंचालक / भोपाल संभाग / शिकायत / प.क्र. 131 / 16-17 / 7541 भोपाल दिनांक 02/03/2017** से लिखित बिंदु क्रमांक 01 से 09 तक कूट रचित, अधूरी जानकारी, गलत जानकारी, फर्जी खानापूर्ति करके भेजी गई है, जोकि म.प्र. शासन एवं भारत

सरकार के नियमो आदेशो, सिविल सेवा नियम का घोर उन्लंघन किया गया है | इस कारण श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आय हो सकती है |

20. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 165 से 170 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

जिसमे अपर संचालक श्री विनय निगम जी द्वारा आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड भोपाल का **पत्र क्र. / उप / स / सीऍमहे०/ नरसिंहगढ़ / पार्ट – 2 / 17-18 / 1460 भोपाल दिनांक 03/06/2017** द्वारा पत्र में **दर्ज बिंदु क्रमांक 1. से 3. तक : C.M. HELPLINE COMPLENT NO. 3397018 एवं 3396497 , 3450827** में गलत जानकारीयां दर्ज कराई है, एवं भ्रस्टाचार सम्बन्धी जानकारी संज्ञान में नहीं आने को लिखा है, जबकि अपर संचालक श्री विनय निगम झूठ बोल रहे है, श्री विनय निगम को मंडी समिति नरसिंहगढ़ के **पत्र क्रमांक 652 नरसिंहगढ़ दिनांक 02/08/2016** एवं मंडी समिति नरसिंहगढ़ के **पत्र क्रमांक 662 दिनांक 06/08/2016** द्वारा अपर संचालक के समक्ष पत्र प्रस्तुत हो चुके थे संलग्न पेज क्र. 165 से 170 अवलोकन करने का कष्ट करें | कूट रचित, अधूरी जानकारी, गलत जानकारी, फर्जी खानापूर्ति करके भेजी गई है, जोकि म.प्र. शासन एवं भारत सरकार के नियमो आदेशो, सिविल सेवा नियम का घोर उन्लंघन किया गया है | इस कारण श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है | करोडो रूपये का नुकसान रोका जा सकता है |

21. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 171 से 180 तक अवलोकन करने का कष्ट करें |

विशेष उल्लेखनीय यह है कि अगस्त 2016 में जिला कलेक्टर I.A.S. राजगढ़ के आदेश को रोकते हुए मंडी बोर्ड से जाँच कराने के बाद F.I.R. दर्ज करने को लिखा गया था, जबकि अगस्त 2016 से अगस्त 2017 तक श्री विनय निगम ने जान-बुझ कर भ्रस्टाचारियों को सहयोग देने एवं फर्जी खाना-पूर्ति कराने के लिए 50 लाख के भ्रस्टाचार को जांच कार्यवाही के नाम पर लंबित करके रखा था जब **मंडी बोर्ड भोपाल / उज्जैन के सतर्कता विभाग के पत्र क्र. 2160 दिनांक 03/08/2017** से जाँच कराई गई, तब संलग्न जाँच प्रतिवेदन पेज क्रमांक **171 से 180** अनुसार गंभीर अनियमितताएं एवं भारी भ्रस्टाचार साबित हो चुका है जोकि जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन में दर्ज बिंदु क्र. 01 से 10 तक तैयार करते हुए लेखा अधिकारी मंडी बोर्ड उज्जैन का **पत्र क्रमांक / बोर्ड / नरसिंहगढ़ / जाँच / 17-18 / उज्जैन दिनांक 30/08/2017** से भेजते हुए उपसंचालक सतर्कता मंडी बोर्ड उज्जैन को प्रस्तुत करते हुए मंडी बोर्ड भोपाल को भेजा गया है | यदि श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन

करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है | करोडो रूपये का नुकसान रोका जा सकता है |

22. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 181 अवलोकन करने का कष्ट करें |

अति विशेष उल्लेखनीय यह है कि मंडी समिति नरसिंहगढ़ का प्रकरण माननीय लोकायुक्त कार्यलय भोपाल में प्रकरण क्रमांक 1037/16 पर दर्ज हो चुका है, कार्यवाही विचाराधीन है, माननीय लोकायुक्त भोपाल का **पत्र क्रमांक 5193 / जा प्रा 1037 / 16 भोपाल दिनांक 30/08/2017** द्वारा जिला कलेक्टर राजगढ़ को लिखा गया है, क्योकि राजगढ़ में कार्यवाही को भी एवं लोकायुक्त कार्यालय की कार्यवाही पर भी श्री विनय निगम विपरीत प्रभाव डाल रहें है, इस कारण कार्यवाही लंबित हो रही है | यदि श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है | करोडो रूपये का नुकसान रोका जा सकता है |

23. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 182 अवलोकन करने का कष्ट करें |

विशेष उल्लेखनीय यह है कि यह प्रकरण आर्थिक अपराध प्रकोष्ट म.प्र. E.O.W. भवन 42 अरेरा हिल्स भोपाल ने भी दर्ज करते हुए अपने **पत्र क्रमांक / अपराध / भोपाल / आर. – 1941 , 2044 , 2064 , 2204 , 2447 , 2497 (16) / 2497A / 17 भोपाल दिनांक 14/08/2017** द्वारा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय – वल्लभ भवन, भोपाल को भेजा गया है | वहां पर भी श्री विनय निगम विपरीत प्रभाव डाल रहें है, इस कारण कार्यवाही लंबित हो रही है | श्री विंय निगम के खिलाफ गंभीर अनियमितता एवं भारी भ्रस्टाचार के कारण माननीय लोकायुक्त कार्यालय भोपाल एवं माननीय E.O.W. कार्यालय भोपाल में भी शिकायतें दर्ज है, विचाराधीन है | जिसपर शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें | यदि श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है | करोडो रूपये का नुकसान रोका जा सकता है |

24. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 183 से 194 अवलोकन करने का कष्ट करें |

उल्लेखनीय है कि **C.M. HELPLINE COMPLENT NO. 4037459 एवं 3549198 एवं 3966142 एवं 3520890** एवं अन्य शिकायतों को श्री विनय निगम द्वारा जान-बुझ कर कई महीनो तक लंबित रखा गया है, श्री विनय निगम विपरीत प्रभाव डाल रहें है, इस कारण कार्यवाही लंबित हो रही है | यदि श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराई जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है |

24. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 195 अवलोकन करने का कष्ट करें |

भारत सरकार का पत्र F. NO. 22016/2/2017-M.II (Pt.) KRISHI BHAWAN, NEW DELHI, DATE : 07/12/2017 से हज़ारो किसानो का शोषण रोकने एवं लाखो/करोडो रूपये का भ्रस्टाचार रोकने बाबत पत्र श्री मान प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल को लिखा गया था , जिसमे श्री विनय निगम विपरीत प्रभाव डाल रहें है, इस कारण कार्यवाही लंबित हो रही है | यदि श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है |

25. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 196 से 198 अवलोकन करने का कष्ट करें |

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क्रमांक / शिकायत / 555 / विविध / 96 भोपाल दिनांक 17/01/2011 एवं पत्र क्र. / बी -11-3/ जन /05/564 भोपाल दिनांक 01/03/2006 एवं क्र. / बी- 1/1/3/अ/2006 – 245/2590 परिपत्र भोपाल दिनांक 22/08/2008 से संभागीय आंचलिक कार्यालय को स्पष्ठ निर्देश दिया था कि भ्रस्टाचार सम्बन्धी शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही सुनिक्षित करें जबकि तत्कालीन संभागीय अपर संचालक श्री विनय निगम द्वारा उपरोक्त आदेश का घोर उल्लंघन किया है एवं भ्रस्टाचार की शिकायतों को लंबित रखते हुए भ्रस्टाचारियों को फर्जी खाना-पूर्ति करने का भरपूर अवसर दिया है, संरक्षण दिया है, सहयोग किया है | जिसमे श्री विनय निगम अपर संचालक मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा मुख्यालय मंडी बोर्ड के पत्रों का घोर उन्लंघन किया गया है | पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी का गलत निलंबन किया गया है, एवं करोडो रूपये के भ्रस्टाचारियों को बचाने के लिए, संरक्षण एवं सहयोग देने के लिए प्रार्थी के पत्रों को श्री विनय निगम द्वारा जान-बुझ कर लंबित रखे गये है, जो निम्न्नानुसार है :--

I.) जैसे मंडीबोर्ड सतर्कता का पत्र क्र. / सतर्कता / 25-5 / नरसिंहगढ़ / 152 भोपाल दिनांक : 23/01/2016

इस पत्र में स्पस्ट निर्देश है कि दिनांक 09/11/2015 से लाखो रूपये भ्रस्टाचार की जाँच 15 दिवस में चाहा गया था परन्तु आज दिनांक 23/01/2016 तक अपेक्षित है / लंबित है |

II.) जैसे मंडीबोर्ड सतर्कता का पत्र क्र. / सतर्कता / 25-5 / नरसिंहगढ़ / 846 भोपाल दिनांक : 21/04/2016

इस पत्र में स्पस्ट निर्देश है कि दिनांक 09/01/2016 एवं 30/03/2016 से लाखो रूपये भ्रस्टाचार की जाँच समय-सीमा में चाह गया था परन्तु आज दिनांक 21/04/2016 तक अपेक्षित है / लंबित है | (यह तृतीय स्मरण पत्र है) म.प्र. शासन जनशिकायत विभाग P.G. CODE न. : 10027232

III.) जैसे मंडीबोर्ड सतर्कता का पत्र क्र. / सतर्कता / 25-5 / नरसिंहगढ़ / 1130 भोपाल दिनांक : 24/05/2016

इस पत्र में स्पस्ट निर्देश है कि दिनांक 09/01/2016 एवं 30/03/2016 से लाखो रूपये भ्रस्टाचार की जाँच समय-सीमा में चाह गया था परन्तु आज दिनांक 24/05/2016 तक अपेक्षित है / लंबित है | म.प्र. शासन जनशिकायत विभाग P.G. CODE न. : 10035362

यदि श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है |

26. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 199 से 202 अवलोकन करने का कष्ट करें |

म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमो आदेशो, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट निर्णय एवं म.प्र. शासन तथा भारत सरकार के आदेश निर्देश नियम को तत्काल लागू करते हुए यदि श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है |

27. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 203 से 212 अवलोकन करने का कष्ट करें |

अतिविशेष : **प्रति वर्ष करोडो रूपये का मंडी टेक्स नुकसान, अवैध व्यापार, फर्जी खाना-पूर्ति :**

संभागीय आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक / उप / सं / भो / बजट / लेखासत्यापन / 13-14 / 3559 भोपाल दिनांक 09/09/2015 से संभाग स्तरीय 10% व्यापारियों के वार्षिक लेखासत्यापन वित्त वर्ष 2013-14 हेतु आदेश जारी किये गए थे | इसी प्रकार दूसरा आदेश पत्र क्रमांक / उप / सं / भो / बजट / लेखासत्यापन / 15-16 / 6335 भोपाल दिनांक 01/01/2016 से संभाग स्तरीय 10% व्यापारियों के वार्षिक लेखासत्यापन वित्त वर्ष 2013-14 हेतु आदेश जारी किये गए थे | उपरोक्त दोनों वर्षो का लेखा सत्यापन अपर संचालक श्री विनय निगम के हस्ताक्षर से जारी किये गए थे | इन दोनों वर्षो के लेखा सत्यापन दल प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी श्री नत्थू पाटिल को मात्र आदेश पत्र में तो बनाया गया लेकिन श्री पाटिल को 49 कृषि उपज मंडियों में नहीं जाने दिया, पूरा लेखा सत्यापन मात्र श्री महादेव प्रसाद शर्मा प्रभारी

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खुजनेर जिला राजगढ़ ने सम्पूर्ण 49 मंडियों के व्यापारियों से लगभग 30 लाख रूपये के करीब दोनों वर्षो में अवैध वसूली करके एवं निर्धारित प्रारूप कालम क्रमांक 01 से 19 तक फर्जी-खानापूर्तियां की गई है एवं प्रारंभिक स्टॉक, अनुबंध से खरीदी, तोलपंजी में वजन, बिक्रीपंजी में वजन, उनकी कीमत में अंतर, देय मंडी शुल्क, जमा मंडी शुल्क, अवशेष मंडी शुल्क, अनुज्ञा से खरीदी, अनुज्ञा से जावक, शेष जावक आदि मंडी के रिकॉर्ड रजिस्टरों एवं व्यापारियों के रिकॉर्ड रजिस्टरों के जिंसवार माहवार, वार्षिक गोस्वारा, समीक्षा, निर्धारित प्रक्रियां अनुसार 10% लेखा सत्यापन नहीं कराया गया मात्र फर्जी खाना-पूर्तियां करके लाखो रूपये अवैध वसूली की गई है | इस कारण मंडी समितियों, किसानों, मंडी बोर्ड को प्रतिवर्ष करोडो रूपये का नुकसान हुआ है | उपरोक्त बिंदु क्रमांक 27 में यह समस्त फर्जी-खानापुर्तियाँ अपर संचालक श्री विनय निगम द्वारा जान-बुझ कर कराई गई है | जोकि श्री महादेव प्रसाद शर्मा (एम.पी. शर्मा) की राइटिंग (लिखावट) द्वारा फर्जी खाना-पूर्तियां कराई गई है | यदि श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है |

28. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 213 से 215 अवलोकन करने का कष्ट करें |

यह है कि करोडो रूपये के भ्रस्टाचार कराने वाले अपर संचालक श्री विनय निगम भ्रस्टाचार में सहयोग देने वालें कर्मचारी जैसे श्री देवेन्द्र नामदेव एवं श्री अखिलेश शर्मा एवं अन्य कर्मचारी के द्वारा श्री विनय निगम दुसरे अधिकारीयों/कर्मचारियों को दबाने के लिए श्री विनय निगम भ्रस्टाचारीयों से स्वयं का सम्मान कराते रहते है, एवं फोटो खिचवातें रहते है |

29. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 216 से 222 अवलोकन करने का कष्ट करें |

श्री विनय निगम जुलाई 2015 से प्रतिनुक्ति पर अपर संचालक बनकर मंडी बोर्ड भोपाल में आयें तब से वर्तमान अप्रैल 2018 तक अवैध व्यापार, मंडी शुल्क का नुकसान, किसानो का शोषण, मंडी समितियों का नुकसान, सहित करोडो रूपये का नुकसान करा चुके है, कई बार न्यूज़ पेपर में ख़बरें आ चुकी है, लेकिन ख़बरों की कोई जाँच कार्यवाही नहीं की जाती है, किसानो एवं मंडी समितियों को प्रति वर्ष करोडो रूपये का नुकसान होता रहता है | यदि श्री विनय निगम को तत्काल निलंबन करते हुए दुरस्त स्थान पर अटेच करते हुए श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है |

30. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 223 से 230 अवलोकन करने का कष्ट करें | करोडो रूपये का अवैध व्यापार कृषि मंडी में फर्जी गेट पास से देश भर में अवैध व्यापार हो रहा है, जिसपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती |

31. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 231 से 233 अवलोकन करने का कष्ट करें | भावान्तर योजना एवं समर्थन मूल्य योजना में भी किसानो, मंडी समितियों, शासन एवं प्रशासन को करोडो रूपये का नुकसान पहुचायां गया है | जैसे 4 बीघा जमीन के मालिक ने 75 क्विंटल उड़द बेचीं है जबकि चार बीघा में 75 क्विंटल उड़द का उत्पादन संभव नहीं है | मात्र भ्रस्टाचार को बड़ावा मिला है, जोकि श्री विनय निगम के दलाल एजेंट, अधीनस्थ कर्मचारी करोडो रूपये का नुकसान पंहुचा रहें है |

32. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 234 से 236 अवलोकन करने का कष्ट करें | शासन प्रशासन भ्रस्टाचार सम्बन्धी जाँच कार्यवाही तत्काल कराना चाहते है, शीघ्र परिणाम तक पंहुचना चाहतें है, लेकिन श्री विनय निगम जैसे भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेकर जाँच कार्यवाही के नाम पर जान-बुझ कर लंबित रखते है | उपरोक्त बिंदु क्रमांक 25 का अवलोकन करें |

33. यह है कि संलग्न पक्के सबूत सहित पेज क्र. 237 से 240 अवलोकन करने का कष्ट करें | उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमत्री माननीय श्री मान मोदी जी भ्रस्टाचार रोकने का भरपूर प्रयास कर रहें है, भ्रस्ताचारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही चाहते है, इसी प्रकार म.प्र. के मुख्य मंत्री माननीय श्री मान शिवराज सिंह चौहान भी भ्रस्टाचार रोकने का भरपूर प्रयास कर रहें है, भ्रस्ताचारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही चाहते है | एवं भ्रष्ट अधिकारीयों को तत्काल बर्खास्त करने की कहते है | लापरवाह अफसरों को 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सर्विस के फोर्मुले पर निकालने का प्रयास कर रहें है | यह प्रयास श्री विनय निगम जो की शासन-प्रशासन, किसानो, मंडी समितियों को लगातार करोडो रूपये का नुकसान पंहुचा रहें है | एवं श्री विनय निगम के सम्पूर्ण कार्यकाल की मंडी बोर्ड भोपाल में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच विस्तार से कराइ जावें

तो करोडो रूपये की मंडी बोर्ड को आयवृद्धि हो सकती है | इसलिए 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सर्विस के फोर्मुले पर निकालने / सेवानिवृत हेतु श्री विनय निगम पर लागू करने का कष्ट करें |

अतः विशेष : उपरोक्त कार्यवाही तत्काल करने के लिए श्री मान की सेवा में समस्त पक्के सबूतों के साथ सादर प्रस्तुत है, शीघ्र कार्यवाही को परिणाम तक पहुचाने का कष्ट करें | यही विनय है |

संलग्न : पक्के सबूत पेज क्रमांक 01 से 240 तक

प्रार्थी / आवेदक

घीसालाल राठौर, मो. न. 9977 4142 10

निवास : शिवालय मंदिर रोड, पचोर, जिला राजगढ़, (म.प्र.) पिन कोड 465683

प्रतिलिपि : 1. माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. श्री मान सचिव महोदय, केन्द्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(D.O.P.T.) प्रशासकीय सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली
4. श्री मान सचिव महोदय, केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय
(D.O.P.T.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली
5. श्री मान सचिव महोदय, रिसर्च आफिसर
करियर मेनेजमेंट डिविज़न कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली

माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त बिंदु क्रमांक 01 से 33 तक विवरण अनुसार एवं पक्के सबूतों संलग्न पेज क्रमांक 01 से 240 तक अनुसार शीघ्र कार्यवाही को परिणाम तक पहुचाने का कष्ट करें |

संलग्न : कुछ पक्के सबूत (24 पेज) Email के साथ फोल्डर में अटेच है |

Reply : adarshrathore17@gmail.com

प्रार्थी / आवेदक

घीसालाल राठौर, मो. न. 9977 4142 10

निवास : शिवालय मंदिर रोड, पचोर, जिला राजगढ़, (म.प्र.) पिन कोड 465683